

## कार्यालय-आदेश

बियाडा आदेश ज्ञापांक 3348/L दिनांक 19.08.2025 सहपठित ज्ञापांक 3967/L दिनांक 29.09.2025 द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में विखंडित इकाईयों को पुर्नजीवित करने की दृष्टि से बियाडा एमनेस्टि पॉलिसी, 2025 अधिसूचित किया गया जिसके तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2025 तक निर्धारित थी।

औद्योगिक इकाईयों की सुविधा को देखते हुए आदेश ज्ञापांक 5069/L दिनांक 31.12.2025 द्वारा बियाडा एमनेस्टि पॉलिसी, 2025 के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2026 तक विस्तारित की गयी।

औद्योगिक इकाईयों की सुविधा को देखते हुए कार्यहित में बियाडा एमनेस्टि पॉलिसी, 2025 के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2026 तक पुनः विस्तारित की जाती है।

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का आदेश

(दिनांक:-01.04.2026)




कार्यकारी निदेशक (संचालन)

बियाडा, पटना।

ज्ञापांक.....1290/ES.H

दिनांक...01/04/26

प्रतिलिपि:-सभी कार्यकारी निदेशक (औद्योगिक विकास), बियाडा/उप महाप्रबंधक-औद्योगिक विकास, सभी क्लस्टर कार्यालय, बियाडा/उप महाप्रबंधक-विधि, बियाडा/उप महाप्रबंधक-वित्त, बियाडा/उप महाप्रबंधक-आई.टी, बियाडा/प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




कार्यकारी निदेशक (संचालन)

बियाडा, पटना।

दिनांक...01/04/26

ज्ञापांक.....1290/ES.H

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, बियाडा-सह-सचिव, उद्योग विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।



कार्यकारी निदेशक (संचालन)

बियाडा, पटना।

